



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०)

आर्यावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ

जल संवर्धी सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में नदद करती है। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०ए०स०सी०/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०डब्ल्यू०ए०स०ए०म०को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित का जाती है। आई०ए०स०ए० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाता है।

1. तैयारी की तारीख 20-6-2023 परिपृष्ठ ग्राम सेवा संघ

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख १२ - ६ - २०१३

डी०डब्ल्यू०ए०स०ए०म० को प्रस्तुत किये जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम सोनबरसा

ग्राम पंचायत का नाम

फरे-पा

विकास खण्ड का नाम

महरापांड

जनपद का नाम

उत्तर - पृष्ठा

राज्य का नाम

ग्राम जनगणना कोड

यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकाशा 15 संख्या, मध्येरी कुड़ों को और 65 संख्या, कपड़ा धोने/ स्नान करने के रथनों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 10 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये एफ०ए०च०टी०सी० प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अत ग्राम जल आपूर्ति अवसंरखना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हे संवृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गदे जल की व्यवस्था करेंगे और मीठे/ साफ जल को बचायेंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूजी/ लागत का 10% प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र पी०ए०च०इ०डी०/ आर०डब्ल्यू०ए०स० सिमाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०उ०डब्ल्यू०ए०स०सी०/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

ग्राम पंचायत और / या उप-समिति

सोनबरसा

समिति को क्या कहा जाता है श्रम पृष्ठलख्न स्वरूप समिति

समिति के अध्यक्ष का नाम प्रमोद कुमार

लिंग पुरुष

आयु 36 वर्ष

क०स०	सदस्य का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
1	प्रमोद कुमार	M	36	SC	उम्मीद
2	राधावल्लभ नाथ				साची
3	पुष्पा देवी	F	28	SC	कावाणी
4	विनोद कुमार	E	27	SC	सातमा
5	ममता	F	24	SC	सातमा

6	गुडिया	F	30	OBC	संस्कृति
7	सबल	M	23	SC	संस्कृति
8	बूबल	M	32	SC	संस्कृति
9	विजय गुडिया	M	36	OBC	संस्कृति
10	रोटी	M	24	OBC	संस्कृति
11	मनोज	M	35	OBC	संस्कृति
12	डबल	F	34	OBC	संस्कृति
13	संगीता	F	35	OBC	संस्कृति
14	कुमार	M	27	SC	संस्कृति
15	कंपण	M	40	OBC	संस्कृति

III- सामान्य विवरण

6-	2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आगनवाडी रिकार्ड के अनुसार
	जनसंख्या 1550	जनसंख्या 1850
	परिवारों की संख्या 250	परिवारों की संख्या 410
	महिलाओं की संख्या 700	महिलाओं की संख्या 850
	पुरुषों की संख्या 850	पुरुषों की संख्या 1000
	बच्चों की संख्या 1500	बच्चों की संख्या 175
	एफ0एच0टी0सी0 की संख्या	एफ0एच0टी0सी0 की संख्या

7- जनसंख्या अनुमान

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन के 0एल0डी0 अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन के 0एल0डी0

8- वर्तमान मध्यवर्ती संख्या पश्चापालन रिकार्ड 265

9- कृषि फसल पैटर्न रोटी ५.२०।

प्रमुख फसल	खरीफ	रबी
गन्ना		
धान	✓	
मक्का		
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10- औसत जल वर्षा मिठी0 में 12 MM

11- स्थलावृत्ति समतल, ढालान, आदि समतल

12- स्थिति विश्लेषण

IV- क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं ✓

12- ग्राम कार्यगायोजना के साथ मानचित्र संलग्न करें

13- क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं ✓

ग्राम कार्यगायोजना के साथ मानचित्र संलग्न करें

14-

ब्र0 सं0	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ0एच0टी0सी0 उपलब्ध है? हाँ/नहीं	क्या वर्षा जल संचयन सरचना उपलब्ध है? हाँ/नहीं	सेखता गढ़ों की उपलब्धता? हाँ/नहीं
-------------	-------------------------	--	---	-----------------------------------

	स्कूल	१६	२८	४७
1	जागनवाडी	५	५	५
2	स्वास्थ्य केन्द्र	५	५	५
3	ग्राम पंचायत भवन	५	५	५
4	अन्य			
5				

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता:

15. पानी की घरमान आवश्यकता **२८५,६५०** जनसंख्या दर **६०** के०एल०डी० प्रति घाविते

न्देशियों के लिए पानी की घरमान आवश्यकता के०एल०डी०

न्देशी कुँडों की आवश्यक संख्या

मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर के० एल० डॉ

अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर **६०** के०एल०डी० प्रति घाविते

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य पर्वति

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। **१६**

18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आरिक कार्य, स्रोत को मजबूत करनेका इतिवृत्त **५१**

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता **५१**

20. फिल्ह परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने याले नीजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम अवस्थिति

स्रोत	मापदण्ड	तरीका	परिणाम
गदगी	दृश्य तुलना		
पीएच	पटटी रंग तुलना		
पूर्ण लवणता	टिटीमेटिक विधि		
पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेटिक विधि		
वलोराइङ	टिटीमेटिक विधि		
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना		
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना		
अवशिष्ट वलोरीन	दृश्य रंग तुलना		
आयरन	दृश्य रंग तुलना		
नाइट्रोट	दृश्य रंग तुलना		
फलोराइङ	दृश्य रंग तुलना		
आर्सेनिक हाउट स्पाट में	दृश्य रंग तुलना		

कपड़े धोने/ स्नान करने का स्थान

23. यह सम्भावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए यार्ड जगह न हो। ऐसे अभिनिर्वासित रखानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के लान उपलब्ध कराए जाने हैं

अन्तर्विति का नाम	घरों की संख्या	आवादी
	15	45

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के नामले में, क्या बौरवेल रिवार्ज स्थान है? हाँ/नहीं 61

25. नदी में उन मौजूदा जल भेड़ारों की सूची जिनका काया कल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है।

गढ़े जल का प्रबन्धन

26. उत्पन्न गदा जल जल आपूर्ति का 65 प्रतिशत के ०एल०डी० अलग-अलग स्रोतों गढ़ों वाले परिवारों की संख्या

उन परिवारों की संख्या जिन्हें स्रोतों गढ़ों की आवश्यकता है 75

आवश्यक सामुदायिक स्रोतों गढ़ों की संख्या 5

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? हाँ / नहीं 61

यदि हाँ तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्वासित किया गया है हाँ

यदि नहीं तो गढ़े जल के प्रबन्धन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

III- जल आपूर्ति योजना

- 27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ०एच०टी०सी० प्रदान किए जाएंगे

- * अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एनओआर०डी०डब्ल्यू०पी० के तहत शुल्क की गयी योजनाओं की रेटोफिटिंग
- * पूर्ण हो चुके आर० डब्ल्यू०एस० की रेटोफिटिंग ताकि इसे जे०जे०एम० के अनुकूल बनाया जा सके
- * निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल /सिंग वाटर/ स्थानीय या घरातलीय जल वाले गावों में एस०वी०एस०
- * शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गावों में एस०वी०एस०
- * वाटर प्रिड/ क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस०वी०एस०
- * मिनी सौर उर्जा आवारित पी०डब्ल्यू०एस० जो एकान्त/आदिवासी बसितयों में वितरित है।

- 28- अभिनिर्वासित जल स्रोत समुदाय आधारित तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना नियंत्रित रखने वाले तावारित इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि
को सौंप दी जाएगी

राज्य सरकार का हिस्सा

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०हृ०इ०डी०/आर०डब्ल्य०एस०
योजना की लागत **DPR के द्वारा** भारत सरकार का हिस्सा।

ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा

अधिकातम् 11%

व्यक्तिगत/घरेलू अशादान

मासिक जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क **५० - १००/-** कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी०डब्ल्य०एस०

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क **५० - १००/-** व्यक्तिगत/घरेलू

III- मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन समावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल समवय है। ग्राम समुदाय प्रारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समावित गतिविधिया जो शुरू की जा सकती है	प्रस्तावित निधि
चौदहवा वित्त आयोग ✓	ग्राम पंचायत ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, डेरेनेज सिस्टम आदि।	राज्य वित्त
स्वच्छ भारत मिशन एस०बी०एन०-जी० ✓	घजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, सोख्ता गड्ढे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तलछट तालाब आदि।	ग्रामीण निधि
एम०जी०एन०जा०र०इ०जी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय ~	प्रकृतिक ससाधन प्रबंधन एन०ओर०एम० घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधिया	अनुभ्रवण आते मेरे VWS C
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग०डब्ल्य०एम०पी०	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्य०एच० / कृत्रिम पुनर्मरण, जल निकायों का <u>निर्माण</u> /वृद्धि आदि	
जल भण्डारों की सम्प्रति, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भण्डारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर०के०वी०वाइ०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	
प्रानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पी०एम०के०एस०वाइ०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूख-सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
झातिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि।	
प्रानमंत्री कौशल विकास योजना पी०एम०के०एस०वाइ०	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर०डब्ल्य०एस० योजनाओं के लिए	✓

		आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि	✓
समग्र शिक्षा	मनव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	धजला कलेक्टर के पास उपलब्ध विदेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	
जिला खनिज विकास निधि डी०एम०ए०एफ०	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां	
एम०पी०एल०ए०डी०	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एम०ओ०एस०पी०आई०	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम०एल०ए०एल०ए०डी०	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना टी०एस०एस०	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता / प्रायोजक			

अध्यक्ष के हस्ताक्षर



पी०एच०ई०डी० / आर०डल्य००एस० विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई०एस०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डल्य००एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष

ग्राम पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नम्बर

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नम्बर

1 गुर्जिया 7275447524

2 बिन्दु 9305792594

3 मुमता 9555985854

4 सुनीता (SC) 9795994097 सुनीता

5 आपरेटर का नाम और फोन नम्बर

सुनीता पुष्पा देवी 9140682143